न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स / 01 / 2022

गिरीश पुत्र कपूरचन्द सिंघल जाति वैश्य निवासी ए–98 रंजीतनगर भरतपुर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–हुकमसिंह
2–छतरपाल सिंह } –पुत्रान करनसिंह
3–अखेन्द्रपाल सिंह
4–लक्ष्मी पत्नी स्व0 मेजरसिंह उर्फ हरीसिंह
5–अनूपसिंह पुत्र मेजर सिह उर्फ हरीसिंह } जाति जादौं ठाकुर निवासी ग्रांम झीलरा तहसील व जिला भरतपुर
6–अल्पना कुमारी पुत्री मेजरसिह उर्फ हरीसिंह
7–राज. सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर वहैसियत

.....अप्रार्थी0

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बाबत नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 बाके ग्रांम झीलरा तहसील भरतपुर

उपस्थित :–

1–श्री कृष्ण कुमार अभिभाषक, प्रार्थी,
2–श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय **दिनांक 12–02–2025**

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, इस आश्य का पेश किया है कि जो संक्षेप में इस प्रकार है – गत आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा बाके ग्रांम झीलरा तहसील भरतपुर को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के पिता / बाबा करनसिंह पुत्र किरोडी सिंह सिवाय चक भूमि को नोतोड करने पर नायव तहसीलदार भरतपुर ने नोटिस बेदखली जारी किया जाकर अपने आदेश दिनांक 30.5.1969 से अप्रार्थीगण के पिता / बाबा करनसिंह पुत्र किरोडी सिंह को विवादित आराजी से बेदखल किया गया था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 10.10.1972 को विवादित आराजी पर अप्रार्थी के पिता / बाबा करनसिंह पुत्र किरोड़ी के हक में नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। यह आदेश विधि विरुद्ध

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

है। राजकीय भूमि का बिना आवंटन / नियमन किये विवादित नामान्तकरण दर्ज किया गया है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गत आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 10 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 404 / 0.83 है0 बनाया गया है। मौके पर विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी0 ने विवादित आराजी खसरा 404 / 0.83 है0 विरासतन राजस्व रिकार्ड में अपने आप को गैरखातेदारी करा लिया है। नायब तहसीलदार ने बेदखली कार्यवाही करते हुये पत्र / आदेश दिनांक 30.5.1969 को अतिकमी से सैरावी जमा कराने के लिये लिखा गया है, ना कि गैर खातेदारी दर्ज कराने के लिये। राजस्व कर्मचारी पटवारी द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से नियमों के विपरीत जाकर नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 10.10.1972 को करनसिंह पुत्र किरोडी के नाम गैरखातेदारी का दर्ज किया गया है जिसे तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 16.12.1973 को स्वीकार किया गया है। करनसिंह पुत्र किरोडी के फोत होने के बाद अप्रार्थी0 ने विरासतन अपने नाम गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया है। विवादित आराजी राजकीय भूमि है। बिना किसी आवंटन या नियमन कराये अप्रार्थी0 के पिता करनसिंह पुत्र किरोडी ने अपने नाम दाखिल खारिज संख्या 170 विधि विरुद्ध दर्ज कराया है। विधि विरुद्ध स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 निरस्त किया जावे तथा करनसिंह पुत्र किरोडी के फोत होने के बाद उनके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज गैर खातेदारी इन्द्राज को भी कलमजन कराने जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी0 न.2 की ओर से जबाब रेफरेन्स पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि–विवादित आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झीलरा तहसील भरतपुर मकबूजा राज सिवाय चक भूमि है। उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थीगण के पिता / बाबा श्री करनसिंह पुत्र किरोडी जाति ठाकुर ने अतिक्रमण कर लिया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि राजकीय भूमि पर अपने नाम गलत आदेश कराने एवं राजकीय भूमि को अप्रार्थी0 से बचाने तथा पूर्वतः सिवाय चक दर्ज कराने के लिये कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को अवगत करा सकता है। रेफरेन्स में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। दावा में कोई

.....3

जिला कलक्टर,
भरतपुर

स्थगन नहीं है, विवादित आराजी मकबूजा राज सिवायचक भूमि है जिस पर विना आबंटन किये या नियमन कराये गैरखातेदारी इन्द्राज नहीं किये जा सकते हैं। नायव तहसीलदार भरतपुर ने अतिकमी करनसिंह पुत्र किरोडी के खिलाफ कार्यवाही की जाकर दिनांक 30.5.69 को बेदखली एवं शास्ति राशि जमा कराने के लिये हल्का पटवारी को लिखा गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि नायव तहसीलदार भरतपुर के पत्र / आदेश दिनांक 30.5.69 का उल्लेख उक्त नामान्तकरण में किया हुआ है। अप्रार्थी. के पिता / बाबा करनसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नायव तहसीलदार के उक्त पत्र के आधार पर अपने नाम नियम विरुद्ध गैर खातेदार दर्ज करा कर नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.1973 स्वीकार करा लिया है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी खसरान नम्बर 404 रकवा 10 विस्वा का कभी भी नियमन या पट्टा पिता / बाबा करनसिंह के हक में जारी नहीं हुआ है, बिना नियमन या आबंटन के किसी को भी गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा विधि विरुद्ध स्वीकार किये गये नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 काबिल निरस्त योग्य है तथा करनसिंह पुत्र किरोडी जाति ठाकुर के मृत्यू होने के पश्चात अप्रार्थीगण ने विरासतन अपने नाम गैरखातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करा लिये हैं जिन्हें निरस्त किया जावे, तथा विवादित अराजी गत खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा हाल नम्बर 404 / 0.86 है0 को पूर्वतः मकबूजा सरकार सिवाय चक दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की गई ।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा पर अप्रार्थी0 का कब्जा काश्त है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी0 के पूर्वज काबिज रहे हैं उनके फोत होने के बाद अप्रार्थी0 का कब्जा काश्त है। प्रस्तुत रेफरेन्स म्याद बाहर पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। यह रेफरेन्स एक प्राईवेट व्यक्ति ने किया है जो काबिल खारिज के रहता है। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारन में दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में यह रेफरेन्स चलने योग्य नहीं होने खारिज किया जावे। विवादित नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 नियमानुसार भरा जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी प्रतिबन्धित श्रेणी धारा 16 आर.टी.एक्ट की परिधि में नहीं आती है। गत आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 404 / 0.83 ऐयर बनाया गया है जिसमें अप्रार्थी के खसरा नम्बर 426 का रकवा भी शामिल है। प्रार्थी ने यह रेफरेन्स महज अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से किया गया है। रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....4

कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभापक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभापक उभय पक्ष ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज के बिन्दुओं पर भी मैरिट पर बहस की गई है। विवादित नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.1973 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तकरण आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 16 बिस्वा किस्म भूमि मकबूजा राज पर करनसिंह पुत्र किरोडी जाति ठाकुर सा. देह गैरखातेदारी का दर्ज किया जाकर दिनांक 16.12.1973 को स्वीकार किया गया है।

नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.1973 में दर्ज नोट का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :–

"....कार्यालय नायब तहसीलदार भरतपुर बनाम श्री गिरदावर हल्का झीलरा

विषयः– रिपोर्ट पटवारी ह0 झीलरा तहसील भरतपुर बावत कर लेने नौतोड़ ख.न. 426 सिवायचक नौतोड़ श्री करनसिंह पुत्र किराडी सिंह जादों ठाकुर मोजा झीलरा

इस बारे में आपको लिखा जाता है कि गैर सायल का नोटिस मजरिया तहसील खिलाफ गैरसायल बर विनाय व बजूहात मुन्दरजे बाला निरस्त हो, गैरसायल ने जब से यह रकबा काश्त में करना शुरु कर लिया है व शरह सैरावी जमा बसूल की जावे। 30.5.69 एस.डी. / –नायब तहसीलदार... ।"

नामान्तकरण पर अंकित उक्त नोट से यह जाहिर आता है कि श्री करनसिंह पुत्र किरोडी सिंह जादों ठाकुर ग्रांम झीलरा द्वारा आराजी खसरा ख.न. 426 रकबा 10 बिस्वा किस्म भूमि सिवायचक पर किये गये अतिक्रमण करने पर शास्ती शैरावी वसूल किये जाने हेतु हल्का पटवारी को पत्र लिखा गया है। नामान्तकरण संख्या 170 आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 10 बिस्वा के कॉलम संख्या 5 में भूमि किस्म मकबूजा राज दर्ज है, कॉलम नं. 11 में करनसिहं पुत्र किरोडी जाति ठाकुर सा. देह गैरखातेदार का अंकन है, कॉलम संख्या 14 में हुक्म्न तहसील दिं. 30.5.69 एवं कॉलम संख्या 16 में आदेश तहसील दिनांक 30.5.69 दा.ख. दर्ज करके पेश है का अंकन किया हुआ है। नामान्तकरण संख्या 170 में हो रहे उक्त इन्द्राज से यह स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने यह नामान्तकरण तहसील के आदेश दिनांक 30.5.69 के परिप्रेक्ष्य मे भरा जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 16.12.73 को स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण संख्या 170 में हल्का पटवारी ने तहसील भरतपुर के जिस आदेश दिनांक 30.5.69 का उल्लेख किया है, उस पत्र / आदेश का नोट नामान्तकरण संख्या 170 पर दर्ज है, इसमें केवल हल्का गिर्दावर / हल्का पटवारी को अतिक्रमी से शास्ति वसूल कर जमा कराये जाने का उल्लेख है। इस नोट में करनसिंह पुत्र किरोडी को गैर खातेदार दर्ज किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। नामान्तकरण में विवादित

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा का आवंटन(पट्टा) / नियमन वगे किये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थीगण की ओर से भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा का आवंटन(पट्टा) / नियमन होने का कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि गत आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा जो मकबूजा राज सिवाय चक भूमि है पर अप्रार्थी0 के पिता / बाबा करनसिंह पुत्र किरोड़ी जाति ठाकुर सा. देह गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 को हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा नियम विरुद्ध स्वीकार किया गया है जो काबिल खारिज के रहता है तथा इसके बाद करनसिंह पुत्र किरोडी के फोत होने के बाद विरासत अप्रार्थी0 गैरखातेदार भी नियमों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं, ये इन्द्राज भी कलमजन किये जाकर गत आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा ग्रांम झीलरा तहसील भरतपुर को वापिस पूर्वतः मकबूजा राज सिवाय चक दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार यह रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु इस निवेदन के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाता है कि गत आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा किस्म भूमि मकबूजा राज सिवाय चक ग्रांम झीलरा तहसील भरतपुर पर बिना किसी आंवटन पट्टा / नियमन आदेश के नियमों के खिलाफ नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 से गैर खातेदार दर्ज किया गया है। अतः विना किसी सक्षम आज्ञा आंवटन / नियमन के विधी विरुद्ध करनसिंह पुत्र किरोडी जाति ठाकुर के हक में स्वीकार किये गये नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.73 को निरस्त किया जावे तथा करनसिंह पुत्र किरोडी के फोत होने के बाद विरासतन गैरखातेदार दर्ज किये गये अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जावे तथा विवादित आराजी को पूर्वतः मकबूजा राज सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 30.4.2025 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 12–02–2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर